

दिनांक 11.08.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान नामिका अधिवक्ता श्री आशीष जदली उपस्थित। अभियुक्त की हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र कागज संख्या 47ब द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद चमोली प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिये स्वीकृत। अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू-8 का साक्ष्य अंकित किया गया।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 21.08.2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी तलब हो। पैरोकार नोट करे।

(प्रतीक मथेला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पौड़ी गढ़वाल।